Financial assistance to Gujarat for rural Electrification

*212. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what was the financial assistance provided to Gujarat State for electrification of the villages during 1991-92, and upto 31st December in 1992 and to date in 1993;

(b) whether Government have formulated any time-bound scheme/programme for electrification of all the villages of the State; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N. K. P. SALVE): (a) Financial assistance provided by Rural Electrification Corporation to Gujarat Electricity Board for Rural Electrification Programme (including electrification of hamlets, load intensification in already electrified villages, system improvement and pumpset energisation) during the years 1991-92, upto 31st December in 1992 and to date in 1993 is as under:

Year	Financial Assistance (Rs. in crores)
1-4-91 to 31-3-1992 . . .	22.54
1-4-1992 to 31-12-1992 . .	10.29
1-1-1993 to 31-7-1993 . .	16.04

(b) and (c) The Gujarat State has already achieved cent-per-cent village electrification except for 222 villages which are reportedly not feasible for electrification.

रेशम के आयात का प्रतिकूल प्रभाव

***213. श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्री सोम पाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम-आयात के उदारीकरण से स्वदेशी रेशम उत्पादन, व्यवसाय और रेशमी वस्त्र-उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) कच्चे रेशम के आयात सम्बन्धी नीति को उदार नहीं बनाया गया है तथा यह अभी भी निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत 'आयात की निषेद्ध सूची' में प्रतिबंधित मदों की सूची में ही है ।

कच्चे रेशम के आयात की अनुमति मुख्यतः निर्यात-आयात नीति के निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती है। इसके अतिरिक्त, कम सप्लाई होने पर अत्यावश्यकता की स्थिति में तथा उसके परिणामस्वरूप स्थानीय बाजारों में कच्चे रेशम की कीमतों में वृद्धि होने पर सरकार कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्यों के लिए कच्चे रेशम की सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति देती है ।

कच्चे रेशम के आयात का देश में रेशम के उत्पादन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जोकि वर्ष 1988-89 में 10651 मी० टन से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 14140 मी० टन तक हो गया है । तथापि, सितम्बर, 1992 के आरंभ से ही देश में रेशम की कीमतों में गिरावट आने की प्रवृत्ति रही है तथा इसके देशीय उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कच्चे रेशम की उपलब्धता बढ़ना तथा देश में आयातित रेशम उपलब्ध होना आंशिक कारण माने जा सकते हैं।

सरकार द्वारा देशीय कच्चे रेशम की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में रेशमी वस्त्र उत्पादों के लिए लदान-पूर्व निरीक्षण को दुबारा चालू करना, इन उत्पादों के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना की समीक्षा करना तथा देश में कच्चे रेशम की कथित तस्करी